Government of West Bengal
Department of Food & Supplies
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

e-Ration Card

Information

1. E-Ration Card has the same validity as that of a printed Digital Ration Card and can be used to draw food-grains and kerosene oil under Public Distribution System(PDS) from Fair Price Shops.
2. All e-Ration Cards with (I) before the card number (e.g. (I) RKSY-I 0000000001) indicate Inactive Ration Card.
3. All e-Ration Cards need to be activated through fingerprint/OTP based authentication. Fingerprint-based authentication can be done from any ration shop or Food Inspector office, or Bangla Sahayata Kendra and OTP based authentication can be done from www.food.wb.gov.in with OTP in registered mobile number in Aadhaar.
4. Any beneficiary presenting active e-Ration Card cannot be denied food-grains under PDS.

তথ্যাবলী

1. ই-রেশন কার্ড এবং প্রিন্টেড ডিজিটাল রেশন কার্ডের বৈধতা সমানএবং ই-রেশন কার্ড মারফত ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান থেকে গণ বণ্টন ব্যাবস্থার মাধ্যমে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী এবং কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে।
2. যেসমস্ত ই-রেশন কার্ডে কার্ড নাম্বারের আগে (I) (যেমন (I) RKSY-I 0000000001) আছে, সেই সমস্ত কার্ড নিষ্ক্রিয়।
3. রেশন কার্ড সক্রিয় করার জন্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে/ ওটিপি দিয়ে ই-কেওয়াইসি করতে হবে। যে কোন রেশন দোকানে অথবা খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে অথবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ই-কেওয়াইসি করা যাবেএবং আধারের সঙ্গে লিঙ্কড থাকা মোবাইল নাম্বারে ওটিপি-র মাধ্যমে www.food.wb.gov.in থেকে ই-কেওয়াইসি করা যাবে।
4. শুধু ই-রেশন কার্ডের কপি দেখানোর জন্য উপভোক্তাকে বরাদ্দ রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

जानकारी

1. ई-राशन कार्ड की वैद्यता मुद्रित डिजिटल राशन कार्ड की तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तेल को निकालने के लिए किया जा सकता है।
2. सभी ई-राशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKSY-I 0000000001) निष्क्रिय राशन कार्ड दर्शाते हैं।
3. सभी ई-राशन कार्डों को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय, या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ www.food.wb.gov.in से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
4. सक्रिय ई-राशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

जानकारी

1. ई-राशन कार्डको वैधता मुद्रित डिजिटल राशन कार्डको जस्तै नै छ र यसलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अन्तर्गत खाद्यान्न र मट्टितेल राशन दोकान (FPS) बाट उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. कार्ड नम्बर अघि (I) भएका सबै ई-राशन कार्डहरू [जस्तै (I) RKSY-I 0000000001] -ले निष्क्रिय राशन कार्डलाई संकेत गर्दछ ।
3. सबै ई-राशन कार्डहरू फिंगरप्रिन्ट / OTP आधारित प्रमाणीकरण मार्फत सक्रिय गर्न आवश्यक छ ।
फिंगरप्रिन्ट-आधारित प्रमाणीकरण कुनै पनि राशन दोकान वा खाद्य निरीक्षक कार्यालय वा बंगला सहायता केन्द्रबाट गर्न सकिन्छ । OTP आधारित प्रमाणीकरण www.food.wb.gov.in बाट आधारमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा OTP बाट गर्न सकिन्छ ।
4. सक्रिय ई-राशन कार्ड प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि लाभार्थीलाई PDS अन्तर्गत खाद्यान्न प्रदान गर्न अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

جانکاری

۱- ای راشن کارڈ ویسی ہی قابل قبول ہے جیسی پرنٹ شدہ ڈیجیٹل راشن کارڈ اور اسے پبلک شٹری بیوٹن سسٹم کے تحت فیئر پرائس شاپس سے اناج اور کیروسین تیل اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

۲- کارڈ نمبر سے پہلے (I) والے تمام ای راشن کارڈ جیسے (I)RKSY-I 0000000001، غیر فعال راشن کارڈ کی نشاندہی کرتے ہیں

۳- تمام ای راشن کارڈز کو فنگر پرنٹ/او ٹی پی پر مبنی تصدیق کے ذریعے محرک (activate) کرنے کی ضرورت ہے۔ فنگر پرنٹ پر مبنی توثیق کسی بھی راشن شاپ یا فوڈ انسپکٹر کے دفتر سے کی جا سکتی ہے، یا بنگلہ سہایتا کیندر (BSK) اور OTP پر مبنی توثیق آدھار میں رجسٹرڈ موبائل نمبر میں OTP کے ساتھ www.food.wb.gov.in سے کی جا سکتی ہے۔

٤ - فعال ای راشن کارڈ پیش کرنے والے شخص کو پی ڈی ایس کے تحت اناج دینے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

Digital Ration Card Number: SPHH 32133826
Name: PANTOSHI MAL

Downloaded On: 11/05/2025 08:59:37

Card Status

- Denotes Active Card
- Denotes Card is active but aadhar not seeded
- Denotes Deactivated / Inactive Card

Scan this QR Code to see Last 2 Transaction you have done from your Card.

Digitally signed by DS Department of Food Supplies Government of West Bengal 1
Date: 2025.05.11 08:59:37 +05:30
Reason: e - Ration Card for PDS
Location: Dept. of F&S, Kolkata, WB

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর
Digital Ration Card No : SPHH 32133826
For NFSA - Priority Household

Name of the Card Holder : **PANTOSHI MAL**
Name of the Father/Husband : **KARTIK MAL**
Date of Birth : **15/12/2004**
Dealer Name : **MD MOINUDDIN MONDAL(133402600020)**
Dealer Address : **SANFUA, MURARAI - I, BIRBHUM**

Not Transferable (হস্তান্তরযোগ্য নয়)

Help Desk: 1800 345 5505 / 1967(TOLL FREE) 8AM-8PM
Website: food.wb.gov.in Whatsapp: 99030 55505

32133826

Address
KUMADOL, EDRAKPUR, MURARAI, BIRBHUM
Ward :
Village\Municipality : **Sanfua**
Gram Panchayat (For Rural Areas) : **PALSA**
Block : **Murarai - I**
District : **BIRBHUM**
PinCode : **731219**
Date : **27/01/2016**
Sub Area : .....

SCFS-Rampurhat
Signature of Issuing Officer